

अध्याय 12 निर्धारण

धारा 59 : स्वः निर्धारण

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्वः निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।
